

**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची ।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची



e-mail : pccf-development@gov.in

०६५१-२४८१८१३/ ९३०४७२७८५२

पत्रांक : ०१/ यो०बजट-४७/ २०१६-७४

दिनांक : ०३/०२/२१

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग/
उप निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर/
वन संरक्षक, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची/
उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

विषय :-

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना, "वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास" (६०:४०) के अंतर्गत १० वन्यप्राणी पर्यावास के विकास एवं रख-रखाव हेतु कुल रु० २९१.०२३ लाख (दो करोड़ एकानवे लाख दो हजार तीन सौ रुपये) मात्र राशि का ऑनलाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ४/यो०ब०-३७/२०२०-२४/स्वी० व०प० दिनांक १९.०१.२०२१ एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या ०४/यो०बजट-३७/२०२०-३८/आ० व०प० दिनांक २१.०१.२०२१।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष २४०६-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०२ पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष-११० वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष-२२ वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास के तहत वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० २९१.०२३ लाख (दो करोड़ एकानवे लाख दो हजार तीन सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

(क) केन्द्रांश (६०%)

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---------------------|--------------------|----------------|
| मजदूरी | 19C240602110220103 | 119.730 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19C240602110220323 | 54.883 |
| कुल :- | | 174.613 |

(ख) राज्यांश (४०%)

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---------------------|--------------------|----------------|
| मजदूरी | 19S240602110220103 | 79.821 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240602110220323 | 36.589 |
| कुल :- | | 116.410 |

२. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-१ पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों

2

के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19C240602110220103, 19C240602110220323, 19S240602110220103 एवं 19S240602110220323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा “वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास” हेतु स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, विमुक्त रशि एवं अधिरोपित शत्तौं/मार्गदर्शिका से अंकित/ गठित विधियों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जाएगा।

5. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी।

6. (I) स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

(II) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

(III) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम - 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड होंगे।

8. (I) निकासी एवं व्यय पदाधिकारी योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमण्डलीय लेखा में प्रवृष्टि की समीक्षा करेंग एवं समीक्षोपरान्त इस कार्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

(III) नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यता हो, तदनुसार निर्देश इस स्तर से प्राप्त करना चाहेंगे।

9. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय। मार्गदर्शिका में नीति उद्देश्य/लक्ष्य की प्राप्ति हो। यह भी देखा जाय कि man-animal conflicts में तुलनात्मक वर्षवार कितनी कमी आ रही है। प्रभावित श्रोतों को चिन्हित कर विशेष प्रभावित क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान व्यौरा प्राप्त करके उसका आंशिक सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no के साथ फोन नम्बर भी एकत्र किया जाय।

(V) जिन प्रमण्डलों ने तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड को उपलब्ध नहीं कराया है, वे प्रमण्डल उप आवंटित राशि के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राशि का व्यय करेंगे।

(VI). सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा।

(VII). बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।

(VIII). Income tax(IT)/ Service Tax(GST/VAT)/ Mines Royal के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. (I) सभी यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन के पश्चात् मशीन एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाएगा।

(II) वैसे यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

12. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जाएगा उनके Social distancing तथा उनके मास्क का पयोग अनिवार्य रखा जाएगा। हैन्डवास इत्यादि की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए।

13. निकासी एवं व्यय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखे कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरणीकरण न हो।

15. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III)

की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542 दिनांक, दिनांक 11.03.2015 के आलोक में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-47 / 2016- 74 दिनांक-03/02/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ परियोजना, मेदिनीनगर / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-47 / 2016- 74 दिनांक- 03/02/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग / जमशेदपुर / डोरण्डा, राँची / मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

अपर प्रधान मुख्य क्षेत्र संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली केंद्र प्रयोजित योजना "वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास" योजना (60:40) के अन्तर्गत वन्यप्राणी प्रभाग के अधीनस्थ वन प्रमण्डलों के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के अनुलेप उप आवारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(लाख रुपये)

| निकामी एवं व्ययन प्रदातिकरी | आश्रमणी का नाम | कार्य विवरणी | भाग/ संस्था/ रक्षा | दर | प्राक्करित | मनदूरी | | आवृति एवं सामग्री | | कुल | स्थल विवरणी | | |
|---|---|--------------|---|-------|------------|------------|----------|-------------------|----------|-------|-----------------|-------|-------|
| | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | केन्द्रांश | राज्यांश | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| अनावृती | वन प्रमण्डल प्रदातिकरी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग | | हजारीबाग वन्यप्राणी अश्रमणी अश्रमणी जब समन की दुलार्हा पर याय | | 1.10 | 0.75 | 0.300 | 0.180 | 0.120 | 0.450 | 0.270 | 0.180 | 0.750 |
| अवृती | वन प्रमण्डल प्रदातिकरी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग | | हजारीबाग वन्यप्राणी अश्रमणी अश्रमणी जलभ्रोतों का रक्षणात्म | | 24 nos | 0.15 | 3.600 | 2.880 | 1.728 | 1.152 | 0.720 | 0.432 | 0.288 |
| प्रयुक्त चारों के प्रभाव पर अनुस्थान एवं संरक्षण | 1.10 | 0.50 | 0.500 | 0.150 | 0.090 | 0.060 | 0.350 | 0.210 | 0.140 | 0.500 | आश्रमणी क्षेत्र | | |
| वन प्रमण्डल प्रदातिकरी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग | हजारीबाग वन्यप्राणी अश्रमणी अश्रमणी | | जलभ्रोतों का रक्षणात्म | | 24 nos | 0.15 | 3.600 | 2.880 | 1.728 | 1.152 | 0.720 | 0.432 | 0.288 |
| गविणों का दीक्षाकरण हेतु कैप का अयोजन | 4.10 | 0.12 | 0.480 | 0.120 | 0.072 | 0.048 | 0.360 | 0.216 | 0.144 | 0.480 | आश्रमणी क्षेत्र | | |
| प्रदातिकरी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग | वहनों का रखरखाव एवं परिचालन पर याय | | कार्यालय उपस्कर का क्रय एवं मरम्मति | | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.400 | 1.000 |
| अवृती का कुल योग | | | | | | 6.580 | 3.150 | 1.890 | 1.260 | 3.430 | 2.058 | 1.372 | 6.580 |
| हजारीबाग वन्यप्राणी अश्रमणी का सकल योग | | | | | | 7.330 | 3.450 | 2.070 | 1.380 | 3.880 | 2.328 | 1.552 | 7.330 |

| निकासी एवं व्यवस्था प्रदानिकारी | आप्रयणी का नाम | कार्य विवरणी | भावा/ संख्या/ रक्कम | दर | प्रावक्षिता राशि | मजदूरी | | | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल | स्थल विवरणी | | |
|---|---|--------------|---------------------------|-------|---------------------|--------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|-----------------|----|
| | | | | | | कुल | केन्द्रांश 60% | राज्यांश 40% | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| आवर्ती | जब्त समयी, दुनिया, पुस्त काष कानूनी प्राविधि एवं अन्य समान की कुलांशे पर व्यय | 1.10 | 0.10 | 0.100 | 0.050 | 0.030 | 0.020 | 0.050 | 0.030 | 0.020 | 0.100 | आप्रयणी क्षेत्र | |
| पशुपतन चारा के प्रमाण एवं अव्यवस्था के संबंधमा | 1.10 | 0.20 | 0.200 | 0.050 | 0.030 | 0.020 | 0.150 | 0.090 | 0.060 | 0.200 | आप्रयणी क्षेत्र | | |
| वन प्रापांखले, प्रदानिकारी, वन्यप्राणी प्रापांखले, हजारीबाग | 10.10 | 0.15 | 1.500 | 1.200 | 0.720 | 0.480 | 0.300 | 0.180 | 0.120 | 1.500 | अपांखले 86°12'039"E, 23°55'57"675"N, भवदाह-1 (86°10'91.4"E, 23°55'50"07N), भवलाही-1 (86°11'33"E, 23°55'58.4"N), भवलाही-2 (86°11'44.7"E, 23°55'54.7"N), गोपराही-1 (86°10'15"E, 23°55'15"N), गोपराही-2 (86°12'57.93"E, 23°55'00.85"N), घरपुर (86°12'53.4"E, 23°55'51.6"N) घनायांल (86°09'27.55"E, 23°53'47.5"N) | आप्रयणी क्षेत्र | |
| मोशिरों का दीकाकरण हेतु कैम का अयोजन | 4.10 | 0.12 | 0.480 | 0.120 | 0.072 | 0.048 | 0.360 | 0.216 | 0.144 | 0.480 | आप्रयणी क्षेत्र | | |
| वाहनों का रखरखाव एवं परिचालन पर व्यय | LS | 0.60 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.360 | 0.240 | 0.600 | आप्रयणी क्षेत्र | | |
| जनल मास्टर लाइन का निर्माण | 1.10 | 1.00 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | | | |
| पिछला चारी 2019-20 | LS | 0.468 | 0.468 | 0.281 | 0.168 | 0.112 | 0.187 | 0.112 | 0.075 | 0.468 | आप्रयणी क्षेत्र | | |
| आवर्ती का कुल व्यय | | 13.348 | 11.701 | 7.020 | 4.680 | 1.647 | 0.988 | 0.659 | 13.348 | | | | |
| तोतारी वन्यप्राणी आप्रयणी का संकलन व्यय | | 13.348 | 11.701 | 7.020 | 4.680 | 1.647 | 0.988 | 0.659 | 13.348 | | | | |
| आवर्ती | जब्त समयी, दुनिया, पुस्त काष कानूनी प्राविधि एवं अन्य समान की कुलांशे पर व्यय | 1.10 | 0.20 | 1.200 | 0.720 | 0.432 | 0.288 | 0.480 | 0.288 | 0.192 | 1.200 | आप्रयणी क्षेत्र | |
| पशुपतन चारा के प्रभाव पर अव्यवस्था के संबंधमा | 1.10 | 0.20 | 0.200 | 0.050 | 0.030 | 0.020 | 0.150 | 0.090 | 0.060 | 0.200 | आप्रयणी क्षेत्र | | |
| जलमोतों का रखरखाव | 2.10 | 0.15 | 0.300 | 0.240 | 0.144 | 0.096 | 0.060 | 0.036 | 0.024 | 0.300 | सीतानाल (86°08'30.6"E, 23°58'23.5"N) भंतरबानला (86°08'32.5"E, 23°58'48.5"N), | | |
| परसपांख वन्यप्राणी आप्रयणी | नवेशियों का दीकाकरण हेतु कैम का अयोजन | 4.10 | 0.12 | 0.480 | 0.120 | 0.072 | 0.048 | 0.360 | 0.216 | 0.144 | 0.480 | आप्रयणी क्षेत्र | |
| वहनों का रखरखाव एवं परिचालन पर व्यय | LS | 0.70 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.450 | 0.300 | 0.750 | आप्रयणी क्षेत्र | | |
| कार्यालय उपस्कर का क्रय एवं मरमाति | LS | 0.70 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.450 | 0.300 | 0.750 | आप्रयणी क्षेत्र | | |
| पिछला चारी 2019-20 | LS | 0.528 | 0.317 | 0.190 | 0.127 | 0.211 | 0.127 | 0.084 | 0.528 | आप्रयणी क्षेत्र | | | |
| आवर्ती का कुल व्यय | | 4.208 | 4.447 | 0.868 | 0.579 | 2.761 | 1.657 | 1.104 | 4.208 | | | | |
| परसपांख वन्यप्राणी आप्रयणी का संकलन व्यय | | 4.208 | 4.447 | 0.868 | 0.579 | 2.761 | 1.657 | 1.104 | 4.208 | | | | |

| निकासी एवं व्यापन पदाधिकारी | आशयणी का नाम | कार्य विवरणी | मजदूरी | | | | आपूर्ति एवं सामग्री | | | | कुल | स्थल विवरणी | | |
|---|-------------------------|--------------|--|-------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | मात्रा/ संख्या/ रक्का | दर | प्राप्तकर्ता | राशि | कुल | केन्द्रीय राज्यांश | कुल | केन्द्रीय राज्यांश | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| यन्म प्रमुखता पदाधिकारी, व्यापनी प्रमुखदल, हजारीबाग | लायलोग व्यापनी आशयणी | आवर्ती | जब्ता समझी, उनम् गुप्त कोष कानूनी प्रक्रिया एवं अन्य समान की तुलादेश पर व्यय | 1.10 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.090 | 0.060 | 0.10 | 0.060 | 0.040 | 0.250 | |
| | | | व्यापनीत संस्थण से सबवित विनिल गुदतो पर कर्मदारियों व इंजीनीर सदस्यों का प्रशिक्षण | 1.10 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.090 | 0.060 | 0.35 | 0.210 | 0.140 | 0.500 | |
| | | | जलशोतो का रखरखाव | 12.10 | 0.150 | 1.800 | 1.440 | 0.864 | 0.576 | 0.360 | 0.216 | 0.144 | 1.800 | |
| | | | मध्यिकारण कोष का अध्ययन | 4.10 | 0.1200 | 0.4800 | 0.1200 | 0.072 | 0.048 | 0.3600 | 0.216 | 0.144 | 0.480 | |
| | | | वाहनों का रखरखाव एवं परिचालन पर व्यय | L.S. | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.400 | 1.000 | आशयणी क्षेत्र | |
| | | | कार्यालय उपस्कर का क्रय एवं भरभूति | L.S | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.400 | 1.000 | | |
| | | | पिछला वार्ष 2019-20 | L.S | | 0.300 | 0.180 | 0.108 | 0.072 | 0.120 | 0.072 | 0.048 | 0.300 | |
| | | | आवर्ती का कुल योग | | | Total | 5.330 | 2.040 | 1.224 | 0.816 | 3.290 | 1.974 | 1.316 | 5.330 |
| | | | लायलोग व्यापनी आशयणी का सकल योग | | | | 5.330 | 2.040 | 1.224 | 0.816 | 3.290 | 1.974 | 1.316 | 5.330 |
| | | | आवर्ती | | | | | | | | | | | |
| | | | वन्यजीव संस्थण से सवित्रित विनिल गुदतो पर कार्यालयों व इंजीनीर सदस्यों का प्रशिक्षण | L.S | 0.50 | 0.50 | 0.150 | 0.090 | 0.060 | 0.350 | 0.210 | 0.140 | 0.500 | |
| | | | मोटर बोट, मोटरसाइकिल के परिचालन एवं रखरखाव पर व्यय | L.S | 0.40 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.240 | 0.160 | 0.400 | आशयणी क्षेत्र | |
| | | | पिछला वार्ष 2019-20 | L.S | 0.40 | 0.30 | 0.180 | 0.108 | 0.072 | 0.120 | 0.072 | 0.048 | 0.300 | आशयणी क्षेत्र |
| | | | आवर्ती का कुल योग | | | | 1.200 | 0.330 | 0.198 | 0.132 | 0.870 | 0.522 | 0.348 | 1.200 |
| | | | उधाव पक्षी झील आशयणी का सकल योग | | | | 1.200 | 0.330 | 0.198 | 0.132 | 0.870 | 0.522 | 0.348 | 1.200 |

| निकासी एवं व्यवस्था प्रदाताकारी | आश्रयणी का नाम | कार्य विवरणी | मात्रा/ रोड्डा/ रक्का | | | | प्रावसनित राशि | मजदूरी | | | | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल | खस्त विवरणी | | |
|---|---|--|-----------------------------|---------|------------|----------|-------------------|--------|--------|----------|--------|---------------------|---|-------------|--|--|
| | | | दर | कुल | केन्द्रांश | राज्यांश | | कुल | दर | राज्यांश | कुल | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| अनावरती | वेतार संचार को प्रभावित करना, कलवर्ट एवं पुल | पुलिया का निर्माण | 1.10. | LS | 11.000 | 6.600 | 3.960 | 2.640 | 4.400 | 2.640 | 1.760 | 11.000 | | | | |
| उप वन संख्यक एवं शेत्र निरेशक, गांज परियोजना, जम्मतेपुर | तलमा वन्यप्राणी आश्रयणी | जगती जानवरों के लिए पीले का पानी उपलब्ध कराने के लिए पुटा एवं जल संख्या/ संवर्धन संरचनाओं का निर्माण | LS | LS | 12.660 | 7.596 | 4.558 | 3.038 | 5.064 | 3.038 | 2.026 | 12.660 | (i) Tankochha - 50 hec. (ii) Tetto, Jharkhī - 50 hec. (iii) Kuhani - 50 hec. - N-22°55'53" E-066°14'33.22" (iv) Sarri 50 hec. - N-22°50'01.81" E-066°20'23.70" | | | |
| अनावरती का कुल योग | | | 54.140 | 32.484 | 19.490 | 12.994 | 21.656 | 12.994 | 8.662 | 54.140 | | | | | | |
| आवरती | | | | | | | | | | | | | | | | |
| उप वन संख्यक एवं शेत्र निरेशक, गांज परियोजना, जम्मतेपुर | उप वन संख्यक एवं शेत्र निरेशक, गांज परियोजना, जम्मतेपुर | उप वन कर्मियों हारा उत्तरोपा की जाने वाली सामग्रीयों पर व्यवस्था एवं गहन वन्यजीवों का आयोजन आदि | LS | LS | 3.000 | 0.500 | 0.300 | 0.200 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 3.000 | | | | |
| मवेशी का टीकाकरण | | मवेशी का टीकाकरण | 24 nos | 0.150 | 4.500 | 2.700 | 1.620 | 1.080 | 1.800 | 1.080 | 0.720 | 4.500 | | | | |
| आंकड़े क्रमानुसारी | | आंकड़े क्रमानुसारी | (35x249.83=8744.05) | 150 ha | 0.08744 | 13.116 | 7.870 | 4.722 | 3.148 | 5.246 | 3.148 | 2.099 | 13.116 | | | |
| जल श्रोतों का निर्माण/सार्व लिंक | | जल श्रोतों का निर्माण/सार्व लिंक | LS | 0.50000 | 0.500 | 0.300 | 0.180 | 0.120 | 0.200 | 0.120 | 0.080 | 0.500 | | | | |
| हाथी पकड़ने के लिए वन पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना | | हाथी पकड़ने के लिए वन पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना | 3 nos | 0.250 | 0.750 | 0.450 | 0.270 | 0.180 | 0.300 | 0.180 | 0.120 | 0.750 | | | | |
| महावरत को प्रशिक्षित करना | | महावरत को प्रशिक्षित करना | 1 no. | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.012 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | | | | | |
| स्कूली बच्चों के लिए जायालकता कार्यक्रम | | स्कूली बच्चों के लिए जायालकता कार्यक्रम | 10 | 0.250 | 2.500 | 0.750 | 0.450 | 0.300 | 1.750 | 1.050 | 0.700 | 2.500 | | | | |
| जोनल मास्टर ल्यान का निर्माण | | जोनल मास्टर ल्यान का निर्माण | 1 no | LS | 30.000 | 30.000 | 18.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | | | | | |
| अनावरती | | अनावरती का कुल योग | | | 111.526 | 76.874 | 46.124 | 30.749 | 34.652 | 20.791 | 13.861 | 111.526 | | | | |
| वन प्रभावकृत वर्ष्याणी प्रमाणदल, रोती | पालकोट वर्ष्याणी आश्रयणी | चक्र देश का निर्माण | 01 no | 10.000 | 10.00 | 6.000 | 3.600 | 2.400 | 4.000 | 2.400 | 1.600 | 10.000 | | | | |
| अनावरती का कुल योग | | | | | 10.00 | 6.00 | 3.60 | 2.40 | 4.00 | 2.40 | 1.60 | 10.00 | | | | |

| पंजाबी एवं यात्रा प्राधिकारी | आशयणी का नाम | कार्य विवरणी | मजदूरी | | आपूर्ति एवं सामग्री | | कुल | स्वतं विवरणी | | | | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|--------------|---------------------|--------|---------------------|---------|-------|--|
| | | | मात्रा / संख्या/ रकमा | दर | प्राक्कलित राशि | कुल | केन्द्रांश राज्यांश | कुल | केन्द्रांश राज्यांश | कुल | केन्द्रांश राज्यांश | कुल | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| आतर्ती | | | | | | | | | | | | | | |
| दंत प्राप्तवृत्ति वर्चयप्रणी प्रभावद्वारा, रेंची | पालकोट वर्चयप्रणी आशयणी | जलश्रोतों का गहरीकरण | 10.00 | 0.30 | 3.00 | 1,800 | 1,200 | 0.00 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | | | |
| | | पशु विक्रिता कैम का आयोजन | 10.00 | 0.02 | 2.00 | 0.50 | 0,300 | 0,200 | 1.50 | 0.900 | 0,600 | 2,000 | | |
| | | वर्चयप्रणी जागरूकता कार्यालयमें विक्रित कैम का आयोजन | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.150 | 0.100 | 0.75 | 0.450 | 0.300 | 1,000 | | | |
| | | कारोत विकास एवं समाधी का कार्य | 10.00 | 0.25 | 2.50 | 0.00 | 0,000 | 0,000 | 2.50 | 1,500 | 1,000 | 2,500 | | |
| | | स्तोष शैयर के प्रयोगसं प्रभावद्वारा, रेंची का कार्य | 1.00 | 6.000 | 6,000 | 3,600 | 2,400 | 0.000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | | | |
| | | पालकोट वर्चयप्रणी आशयणी का सकल योग | 1.00 | | 17.500 | 9.750 | 5.850 | 3,900 | 7.750 | 4,650 | 3,100 | 17.500 | | |
| अनावर्ती | | | | | | | | | | | | | | |
| दंत निदेशक पालम् आप परियोजना, दंतशोध प्रभावद्वारा, भौतिकीयां | महुआडांड भौडिया आशयणी | हजार (ईं निर्माण) | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 3,000 | 1,800 | 1,200 | 2,000 | 1,200 | 0,800 | 5,000 | | |
| | | जल शोध का निर्माण | 500 ft | LS | 10.00 | 6.00 | 3,600 | 2,400 | 4,000 | 2,400 | 1,600 | 10,000 | | |
| | | जल शोध का निर्माण | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 3,000 | 1,800 | 1,200 | 2,000 | 1,200 | 0,800 | 5,000 | | |
| | | पक्षा चैक कैम का निर्माण | 1.00 | 8.00 | 4.80 | 2,880 | 1,920 | 3,200 | 1,920 | 1,280 | 8,000 | | | |
| | | मुद्रा नमी संरक्षक कार्य | 200 ha | 0.1095 | 21.902 | 13.14 | 7,885 | 5,256 | 8,761 | 5,256 | 3,504 | 21,902 | | |
| | | अनावर्ती का कुल योग | | 49.90 | 29.94 | 17.96 | 11,98 | 19.96 | 11,98 | 7.98 | 49.90 | | | |
| आतर्ती | | | | | | | | | | | | | | |
| दंत निदेशक पालम् आप परियोजना, दंतशोध प्रभावद्वारा, भौतिकीयां | महुआडांड भौडिया आशयणी | गरी एवं निर्गरानी हेतु इक्सो एवं दैनिक मजदूरों की तैनाती | 20 nos | 249.83 | 15,589 | 15,589 | 9,353 | 6,236 | 0.000 | 0,000 | 0,000 | 15,589 | | |
| | | फ्रोलिंग केट | | LS | 0.80 | 0.800 | 0.000 | 0,000 | 0,800 | 0.480 | 0.320 | 0.800 | | |
| | | वर्चयप्राणी गणना | | LS | 1.0 | 1,000 | 0.000 | 0,000 | 1,000 | 0,600 | 0.400 | 1,000 | | |
| | | वर्चयप्राणी की नियानी के लिए जीपीएस और कैमरा ट्रैम का स्वरुपांत्र | | LS | 0.65 | 0.650 | 0.39 | 0.234 | 0.156 | 0.260 | 0.156 | 0.104 | 0,650 | |
| | | महुआडांड भौडिया आशयणी | | LS | 1.0 | 1,000 | 0.400 | 0.240 | 0.160 | 0.600 | 0.360 | 0.240 | 1,000 | |
| | | महुआडांड का दैकारण्य | | LS | 0.15 | 3,000 | 1.80 | 1,080 | 0.720 | 1,200 | 0.720 | 0.480 | 3,000 | |
| | | हेंच कैपर कैम का आयोजन | | 10 camp | 0.30 | 3,000 | 1.80 | 1,080 | 0.720 | 1,200 | 0.720 | 0.480 | 3,000 | |
| | | जल नानी कारोत के लिए प्रभावद्वारा, रेंची की छाप्हाई | | LS | 2.00 | 2,000 | 1.20 | 0.720 | 0.480 | 0.800 | 0.480 | 0.320 | 2,000 | |
| | | वन खेतों एवं दृढ़ी के सदर्दों के लिए कैमरा निर्माण का प्रयोजन | | LS | 4.00 | 4,000 | 2.40 | 1,440 | 0.960 | 1,600 | 0.960 | 0,640 | 4,000 | |
| | | पिछला चारों 2018-19 | | LS | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.173 | 0.115 | 0.000 | 0,000 | 0,288 | | |
| | | आतर्ती का योग | | | 31.327 | 23.867 | 14.320 | 9.547 | 7.460 | 4,476 | 2,984 | 31.327 | | |
| | | महुआडांड भौडिया आशयणी का सकल योग | | | 81.229 | 53.808 | 32.285 | 21.523 | 27.421 | 16,452 | 10,968 | 81.229 | | |
| | | राज्यप्राणी प्रभावद्वारा, जागरूकता का सकल योग | | | 70.768 | 53.120 | 1,872 | 21,248 | 17,648 | 10,589 | 7,059 | 70,768 | | |
| | | गरी परियोजना प्रभावद्वारा, जागरूकता का सकल योग | | | 111.526 | 76.874 | 46,124 | 80,749 | 34,652 | 20,791 | 13,861 | 111.526 | | |
| | | वर्चयप्राणी प्रभावद्वारा, रेंची का सकल योग | | | 27.500 | 15.750 | 9,450 | 6,300 | 11,750 | 7,050 | 4,700 | 27,500 | | |
| | | महुआडांड गड्डिया आशयणी अनावर्ती का सकल योग | | | 81.229 | 53.808 | 32.285 | 21,523 | 27.421 | 16,452 | 10,968 | 81.229 | | |
| | | सकल योग :- | | | 291.023 | 199.551 | 119.730 | 79.821 | 91.472 | 54,983 | 36,589 | 291.023 | | |

अपर प्रधान मुख्य मन संस्कार, विकास,
जारखण्ड, रेंची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निर्मांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-47/2016/74

दिनांक -

03-Feb-2021

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|---|--|--|-------------------------------|
| 1 | S 19 240602110220103 | 74035 | HZBFWL016 | 2,124,800.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी | | | |
| | 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव | | AWANISH KUMAR | रुपये इकायन लाख चौहस हजार |
| | 110 - बन्य जीव परिरक्षण | | CHAUDHARY | आठ सौ |
| | 22 - बन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना | | D.F.O.WILD LIFE HZB | |
| | 01 - वेतन एवं भर्ते | | | |
| | 03 - मजदूरी | | | |
| | Central Scheme (State Share) | | | |
| | State Scheme : | INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITAT(0422) | | |
| | Central Scheme : | INTEGRATED DEVELOPMENT NOF WILDLIFE HABITATS(9186) | | |
| 2 | S 19 240602110220103 | 74040 | JSRFOR002 | 3,074,900.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी | | | |
| | 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव | | SHRI ABHISHEK KUMAR | रुपये तीस लाख चौहत्तर हजार नौ |
| | 110 - बन्य जीव परिरक्षण | | (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT | सौ |
| | 22 - बन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना | | JSR | |
| | 01 - वेतन एवं भर्ते | | | |
| | 03 - मजदूरी | | | |
| | Central Scheme (State Share) | | | |
| | State Scheme : | INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITAT(0422) | | |
| | Central Scheme : | INTEGRATED DEVELOPMENT NOF WILDLIFE HABITATS(9186) | | |

योग:

क्रमिक योग:


रुपये इकावन लाख निन्मानवे हजार सात सौ


5,199,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
SC ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|-------------|---|--|--|--------------------------------|
| 3 | S 19 240602110220103 | 74041 | DRNFWL049 | 630,000.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी | | | |
| | 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव | | UMESH SAHANI | रुपये छ: लाख तीस हजार |
| | 110 - वन्य जीव परिरक्षण | | DFO WILD LIFE | |
| | 22 - वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना | | DIVISION RANCHI | |
| | 01 - वेतन एवं भत्ते | | | |
| | 03 - मजदूरी | | | |
| | Central Scheme (State Share) | | | |
| | State Scheme : | INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITAT(0422) | | |
| | Central Scheme : | INTEGRATED DEVELOPMENT NOF WILDLIFE HABITATS(9186) | | |
| 4 | S 19 240602110220103 | 74046 | PLMFOR068 | 2,152,300.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी | | | |
| | 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव | | MUKESH KUMAR | रुपये इक्कीस लाख बाबन हजार |
| | 110 - वन्य जीव परिरक्षण | | DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED | तीन सौ |
| | 22 - वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना | | | |
| | 01 - वेतन एवं भत्ते | | | |
| | 03 - मजदूरी | | | |
| | Central Scheme (State Share) | | | |
| | State Scheme : | INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITAT(0422) | | |
| | Central Scheme : | INTEGRATED DEVELOPMENT NOF WILDLIFE HABITATS(9186) | | |
| 5 | C 19 240602110220103 | 74071 | HZBFWL016 | 3,187,200.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी | | | |
| | 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव | | AWANISH KUMAR | रुपये इक्कीस लाख सित्यासी हजार |
| | 110 - वन्य जीव परिरक्षण | | CHAUDHARY | दो सौ |
| | 22 - वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना | | D.F.O.WILD LIFE HZB | |
| | 01 - वेतन एवं भत्ते | | | |
| | 03 - मजदूरी | | | |
| | Central Scheme | | | |
| | State Scheme : | INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITAT(0422) | | |
| | Central Scheme : | INTEGRATED DEVELOPMENT NOF WILDLIFE HABITATS(9186) | | |
| | | | | 5,969,500.00 |
| योग: | | | | 11,169,200.00 |
| क्रमिक योग: | रुपये एक करोड रुपाह लाख उनहत्तर हजार दो सौ | | | |
| | | |  (NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND | |

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|--|--|-----------|--|--|
| 6 | C 19 240602110220103 | 74073 | JSRFOR002 | 4,612,400.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 22 - वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | | SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR | रुपये छ्यालीस लाख बारह हजार चार सौ |
| | Central Scheme | | | |
| | State Scheme : INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITAT(0422) Central Scheme : INTEGRATED DEVELOPMENT NOF WILDLIFE HABITATS(9186) | | | |
| 7 | C 19 240602110220103 | 74076 | DRNFWL049 | 945,000.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 22 - वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | | UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI | रुपये नौ लाख पैंतालीस हजार |
| | Central Scheme | | | |
| | State Scheme : INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITAT(0422) Central Scheme : INTEGRATED DEVELOPMENT NOF WILDLIFE HABITATS(9186) | | | |
| 8 | C 19 240602110220103 | 74080 | PLMFOR068 | 3,228,500.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 22 - वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी | | MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED | रुपये बत्तीस लाख अठाइस हजार पाँच सौ |
| | Central Scheme | | | |
| | State Scheme : INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITAT(0422) Central Scheme : INTEGRATED DEVELOPMENT NOF WILDLIFE HABITATS(9186) | | | |
| योग: | | | | 8,785,900.00 |
| क्रमिक योग: | | | | 19,955,100.00 |
| <p>रुपये एक करोड निन्नानवे लाख पचपन हजार एक सौ</p> <p><i>(NAND KISHORE SINGH)</i> ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND</p> | | | | |

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|--|-----------------------|------------------------------|
| 9 | S 19 240602110220323 | 74059 | HZBFWL016 | 705,900.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी | | | |
| | 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव | | AWANISH KUMAR | |
| | 110 - बन्य जीव परिरक्षण | | CHAUDHARY | |
| | 22 - बन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना | | D.F.O.WILD LIFE HZB | |
| | 03 - प्रशासनिक व्यय | | | रुपये सात लाख पॉच हजार नौ सौ |
| | 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | | | |
| | Central Scheme (State Share) | | | |
| | State Scheme : | INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITAT(0422) | | |
| | Central Scheme : | INTEGRATED DEVELOPMENT NOF WILDLIFE HABITATS(9186) | | |
| 10 | S 19 240602110220323 | 74061 | JSRFOR002 | 1,386,100.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी | | | |
| | 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव | | SHRI ABHISHEK KUMAR | |
| | 110 - बन्य जीव परिरक्षण | | (I.F.S) | |
| | 22 - बन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना | | DY.C.F.& | |
| | 03 - प्रशासनिक व्यय | | F.D.PROJ.ELEPHANT | |
| | 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | | JSR | |
| | Central Scheme (State Share) | | | |
| | State Scheme : | INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITAT(0422) | | |
| | Central Scheme : | INTEGRATED DEVELOPMENT NOF WILDLIFE HABITATS(9186) | | |
| 11 | S 19 240602110220323 | 74062 | DRNFWL049 | 470,000.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी | | | |
| | 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव | | UMESH SAHANI | |
| | 110 - बन्य जीव परिरक्षण | | | रुपये चार लाख सत्तर हजार |
| | 22 - बन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना | | DFO WILD LIFE | |
| | 03 - प्रशासनिक व्यय | | DIVISION RANCHI | |
| | 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | | | |
| | Central Scheme (State Share) | | | |
| | State Scheme : | INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITAT(0422) | | |
| | Central Scheme : | INTEGRATED DEVELOPMENT NOF WILDLIFE HABITATS(9186) | | |
| योग: | | | | 2,562,000.00 |
| क्रमिक योग: | | | | 22,517,100.00 |
| <p>रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख स त्र ह हजार एक सौ</p> <p> (NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND</p> | | | | |

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|--|---|-----------|---|---|
| 12 | S 19 240602110220323 | 74065 | PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED | 1,096,800.00 रुपये दस लाख छयानवे हजार आठ सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव 110 - बन्य जीव परिरक्षण 22 - बन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | | |  |
| | Central Scheme (State Share) | | | |
| | State Scheme : INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITAT(0422) Central Scheme : INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITATS(9186) | | | |
| 13 | C 19 240602110220323 | 74084 | HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB | 1,058,900.00 रुपये दस लाख अठावन हजार नौ सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव 110 - बन्य जीव परिरक्षण 22 - बन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | | |  |
| | Central Scheme | | | |
| | State Scheme : INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITAT(0422) Central Scheme : INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITATS(9186) | | | |
| 14 | C 19 240602110220323 | 74087 | JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR | 2,079,100.00 रुपये बीस लाख उन्नासी हजार एक सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव 110 - बन्य जीव परिरक्षण 22 - बन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | | |  |
| | Central Scheme | | | |
| | State Scheme : INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITAT(0422) Central Scheme : INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITATS(9186) | | | |
| योग: | | | | 4,234,800.00 |
| क्रमिक योग: | | | | 26,751,900.00 |
|  (NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND | | | | |

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|-------------|--|-----------|--|---|
| 15 | C 19 240602110220323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 22 - वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री Central Scheme State Scheme : INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITAT(0422) Central Scheme : INTEGRATED DEVELOPMENT NOF WILDLIFE HABITATS(9186) | 74089 | DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI | 705,000.00 रुपये सात लाख पॉच हजार |
| 16 | C 19 240602110220323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 22 - वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री Central Scheme State Scheme : INTEGRATED DEVELOPMENT OF WILDLIFE HABITAT(0422) Central Scheme : INTEGRATED DEVELOPMENT NOF WILDLIFE HABITATS(9186) | 74092 | PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED | 1,645,200.00 रुपये सोलह लाख पैंतालीस हजार दो सौ |
| <hr/> | | | | |
| योग: | | | | 2,350,200.00 |
| क्रमिक योग: | रुपये दो करोड इनकानवे लाख दो हजार एक सौ | | | 29,102,100.00 |

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND